

24)

समाज कल्याण विभाग
भूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02

अंतरांकित प्रश्न संख्या- 196

दिनांक - 22.03.2018


प्रश्नकर्ता - श्री अजेश यादव

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि बादली विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशन के प्रत्येक मामले पर 1 नवम्बर 2017 अलग अलग क्वैरी लगाई जा रही है;	जी, नहीं।
(ख)	यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और	उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं होता।
(ग)	वृद्धावस्था पेंशन आवेदन कर्ता के पास 5 साल पुराना पहचान पत्र न होने पर कौन से अन्य दस्तावेज पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य हैं; ?	वृद्धावस्था पेंशन नियमावली के अनुसार आवेदनकर्ता के पास 5 साल पुराना पहचान पत्र न होने की स्थिति में उसके परिवार के सदस्यों से संबंधित कोई भी एक दस्तावेज आवास प्रमाण के लिए स्वीकार्य होगा, जैसे- 1. राशन कार्ड 2. वोटर कार्ड 3. पासपोर्ट 4. ड्राइविंग लाइसेंस 5. दिल्ली नगर निगम/पंजीयक जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र 6. दिल्ली नगर निगम/पंजीयक जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी मृत्यु

Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G. L. S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002

		<p>प्रमाण पत्र</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. बीमा पॉलिसी कागजात 8. परिवार के किसी सदस्य का टीकाकरण कार्ड 9. दिल्ली में उपचार का चिकित्सीय अभिलेख 10. बिजली का बिल 11. पानी का बिल 12. टेलिफोन का बिल 13. गैस कनेक्शन की रसीद 14. बैंक / डाक घर की पासबुक 15. दिल्ली में जारी जाती प्रमाण पत्र 16. विद्यार्थी पहचान पत्र 17. सार्वजनिक / प्राइवेट सैक्टर कंपनी / स्थापित संस्थान का सेवा पहचान कार्ड 18. संपत्ति दस्तावेज 19. कोई अन्य प्रमाण पत्र जिससे यह स्पष्ट हो जिससे दिल्ली में पांच वर्ष रहना स्पष्ट हो।
--	--	--


 Director (Social Welfare)
 Social Welfare Department
 Govt. of NCT of Delhi
 G.I. B.S. Complex, Delhi Gate
 New Delhi-110002